न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 121/2007

उनवान

1 रुपा पिता देवी बलाई , मृतक के स्थान पर
1/1 श्रीमति सोनी पत्नि रुपा बलाई, निवासी दांतडा तहसील हुरडा ।
1/2 जीवराज पिता रुपा बलाई, निवासी दांतडा तहसील हुरडा ।
1/3 मेंवाराम पिता रुपा बलाई, निवासी दांतडा तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 मोहन पिता देवी बलाई निवासी दांतडा , तहसील हुरडा ।
2 सोहन पिता देबी बलाई निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
3 राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता वकील वादीगण ।
श्री कृपाशंकर शर्मा वकील प्रतिवादी 1 व 2 ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 92 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 25.06.2018

1 वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मोजा दांतडा तहसील हुरडा में साबिक सेटलमेन्ट की बिलान'म आराजी नम्बर– 1179 मिन रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा स्थित थी जिसमें से अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा वादी को 05 बीघा आराजी अलोट की गई जो इतकाल नम्बर– 88 द्वारा दिनांक 21.11.1970 को वादी के खाते में दर्ज की गई ।

2 अलोटमेन्ट के समय से ही उक्त अराजीयात पर लगातार अब तक वादी का कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है और इस पर वादी ने करीब 20 साल पूर्व चाह खुदवा कर उसको पक्का बंधवाया और आराजी को आबादान करने में वादी ने काफी रुपये खर्च किये ।

3 उक्त आराजीयात के रिसेटमेन्ट में आराजी नम्बर– 1421/2, 1422/1, 1423/1, 1421/3, 1422/2, 1423/2, किता 6 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा कायम किया गया ।

Scanned by CamScanner

4 रिसेटलमेन्ट में उक्त आराजीयात तनाह वादी के खाते में दर्ज होनी चाहिये थी मगर रिसेलटमेन्ट की गलती से विना किसी आधार के उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर– 1421/2, रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 1422/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 1423/1 रकबा 13 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर– 1 के खाते में व आराजी नम्बर– 1421/3 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 1422/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा 1423/2 रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या– 2 के खाते में दर्ज कर दिये गए जब कि उक्त आराजीयात से कमशः प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है और न उनका कब्जा है बल्कि उक्त आराजीयात पर अलोटमेन्ट के समय से ही लगातार वादी का कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है ।

5 रिसेटलमेन्ट की उक्त कार्यवाही अवैध व नाजायज होने से उक्त आराजीयात को कमश प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 के खाते से कम की जाकर वादी के खाते में खातेदारी हक से दर्ज की जाना आवश्यक है जिसके लिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ।

6 प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 अपने खाते के बल पर एवं अपने नाजायज प्रलोभन के आधार पर उक्त आराजीयात को दिगर को विक्रय एवं उसका पंजियन करने कराने पर उतारु है तथा वादी के कब्जे में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करते है और उक्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करने पर उतारु है मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर उतारु है और उक्त कृत्य उन्होने दिनांक 10.06.2007 से जारी कर रखा है जो अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरित होने से इससे रुके रहने बाबत उसको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादी को अपनी आराजीयात के हक उपभोग से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है।

7 अन्त में अंकित किया कि आराजीयात मुतदाविया मुन्दर्जे वादपत्र कलम नम्बर– 3 व 4 को प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 के खाते से हटाई जाकर तनाह वादी के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें । बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नम्बर– 1 व 2 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की सादीर फरमाई जावे कि वो उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने व उक्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करने कराने एवं उक्त आराजीयात को दिगर को अन्तरित एवं उसका पंजियन करने कराने से रुके रहें । यदि दौराने वादपत्र प्रतिवादीगण नम्बर– 1 व 2 इसमें सफल हो जावें तो पुनः उनके खर्चे से आज की स्थिति रेस्टोर करवाई जावें ।

8 प्रस्तुत बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 05.02.2008 को जबावदावा प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

किया गया । प्रतिवादी संख्या– 3 पेरोकारराज के द्वारा प्रकरण में राजहित नही होने से जवावदावा प्रस्तुत नही करना चाहा ।

9 प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 18.01.2011 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की –

तनकी नं.–1	आया वादी को मौजा दांतडा को आराजी नम्बर– 1179 में से 05 बीघा भूमि अलोट की जाकर 21.11.1970 को नामान्तकरण संख्या–88 से वादी के खाते में दर्ज की गई ।	–वादी
तनकी नं.–2	आया वादी वक्त अलोटमेन्ट से ही भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है ।	–वादी
तनकी नं.–3	आया आराजी मुतदाविया के रीसेटलमेन्ट में वादपत्र की कलम नम्बर– 3 में वर्णित अनुसार नये नम्बर कायम किये गये ।	–वादी
तनकी नं.–4	आया वादी वादपत्र की कलम नम्बर– 04 में वर्णित कारणों से आराजी मुतदाविया प्रतिवादी संख्या– 1, 2 के खाते में से कम की जाकर वादी खातेदारी हक घोषणा करवाने की अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.–5	आया वादी वादपत्र की कलम नम्बर– 6 में वर्णित कारणों से प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं.–6	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 4, 5 में वर्णित कथनानुसार दावा वादी चलने योग्य नही है ।	–प्रति वादी
तनकी नं.–7	अनुतोष ।	

10 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट दांतडा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थिति हुये । वकील उभययक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात नम्बर– 1179 मीन 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा भूमि अलोटमेन्ट कमेठी के द्वारा वादी रुपा बलाई को आंवटित की गई थी तथा नामान्तकरण संख्या– 88 दिनांक दिनांक 21.11.1970 वादी के नाम दर्ज की गई थी । जिस पर वादी के पिता रुपा वक्त अलोटमेन्ट से ही काबिज काश्त चला आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। रिसेटलमेन्ट में उक्त आराजीयात तनाहा वादी के खाते में दर्ज होनी चाहिये थी , मगर गलती से बिना किसी आधार के उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर– 1421/2, 1422/1, 1423/1 प्रतिवादी संख्या–1 के खाते में व आराजी नम्बर– 1421/3, 1422/2, 1423/2, प्रतिवादी नम्बर– 2 के खाते में दर्ज कर दी गई थी । जबकि उनको इस आराजीयात से कोई वास्ता नही है । अन्त में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खाते में खातेदारी हक से दर्ज करवाई जावें। वादीगण श्रीमति सोनी, जीवराज, मेवाराम ने भी उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके पिता रुपा को ग्राम दांतडा की आरजी नम्बर– 1479 मीन रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा भूमि अलोटमेन्ट हुई थी । उक्त आराजीयात के

Scanned by CamScanner

सेटलमेन्ट में नये नम्बर– 1421/2, 1422/1 ,1423/1 ,1421/3 ,1422/2 ,1423/2 कायम किये गये उक्त आराजी नम्बर में से आराजी नम्बर– 1422/1 , 1423/1 किता 2 रकबा 02 बीघा भूमि का पूर्व में प्रकरण संख्या– 81/1999 में पारित निर्णय / डिक्री दिनांक 23.08.2004 की पालना में हम वादीगण ने उक्त आराजीयात से हमारा कब्जा हटा लिया है। अब हमारा उक्त आराजी नम्बर– 1422/1, 1423/1 किता 2 रकबा 02 बीघा से कोई वास्ता नही है अन्त में कथन किया कि हमारे पिता रुपा को अलोट नम्बर में से शेष आराजी नम्बर– 1421/2, 1421/3, 1422/2, 1423/2 किता 4 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि का हमें खातेदार घोषित फरमाया जावे ।

11 जबकि वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर करीब 40 वर्षो से वादीगण के दादा व प्रतिवादी के पिता के समय से उक्त पुश्तैनी आराजीयात को पिता के जीवनकाल में आपस में बटवारा कर आराजीयात को अलग–अलग भाईयों में विभाजित कर दी । तथा विभाजन के बाद अपने हक हिस्से में आई भूमि का खाता भी राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया । वकील प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि प्रतिवादी ने एक वाद वादी के पिता पर इन्ही आराजीयात का पेश किया जो वाद संख्या– 88/1999 पर दायर होकर उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण की मानते हुये डिक्री अनुसार कब्जा प्राप्त किया था । इसलिये अब यह वाद कानूनी रुप से चलने योग्य नही है । अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नही है और न ही कभी रहा है । अतः कब्जा के अभाव में दावा वादी खाजिर फरमावें जावें ।

12 मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

13 **<u>तनकी नं.–1</u>** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ग्राम दांतडा के नामान्तकरण संख्या– 89 की फोटोप्रति उपलब्ध कराई गई है, जिस अनुसार ग्राम दांतडा की आराजी नम्बर– 1179 मे से रकबा 05 बीघा भूमि रुपा पिता देबी बलाई को आंवटन से गैर खातेदारी से नामान्तकरण निर्णित किया जाना प्रकट आया है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

4 **<u>तनकी नं.– 2</u>** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है जिससे यह प्रकट हो कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त अलोटमेन्ट से ही वादीगण के पिता रुपा का व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त हो । अतः साक्ष्य के अभाव में इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है ।

Scanned by CamScanner

15 **तनकी नं.–3** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है जिसे यह प्रकट हो कि साबिक आराजी नम्बर– 1179 के नये नम्बर– 1421/2, 1422/1, 1423/1, 1421/3, 1422/2, 1423/2 कायम किये गये हो । अतः साक्ष्य के अभाव में इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है ।

16 **तनकी नं.–4 व 5** इन तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है । यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इस विवेचन एक साथ किया जा रहा है । इस तनकी के सम्बन्ध में वादीगण का कथन हे कि रिसेटलमेन्ट की गलती से बिना किसी आधार के आराजी नम्बर– 1421/2, 1422/1, 1423/1 को प्रतिवादी नम्बर– 1 के खाते में तथा आराजी नम्बर– 1421/3, 1422/2, 1423/2 को प्रतिवादी नम्बर– 2 के खाते में दर्ज कर दी गई । जबकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2033–2036 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात नम्बर– 1421 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, 1422रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, 1423 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ देवबी पिता भोजा बलाई के साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी , तथा विरासत से नामान्तकरण संख्या– 16 दिनांक 10.08.1975 से रुपलाल, मोहन , सोहन पिता देवी के नाम दर्ज होना प्रकट आया है । तथा हाल राजस्व रिकार्ड जमवान्दी सम्वत् 2061–2064 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1421/2, 1422/1, 1423/1, आराजी अन्य आराजीयात के साथ मोहन पिता देबी बलाई के नाम दर्ज हुई इसी प्रकार आराजी नम्बर– 1421/3, 1422/2, 1423/2 अन्य आराजीयात के साथ सोहन पिता देवी के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है । प्रतिवादीगण के हक में जो वादग्रस्त आरजीयात वादीगण के द्वारा दर्ज होना बताया गया है । वह आराजीयात प्रतिवादीगण को उनके पिता देवी बलाई के विरासत से प्राप्त हुई है। इस विरासत से प्राप्त आराजीयात के लिये वादीगण किसी प्रकार से खातेदारी हक घोषणा करवाने के अधिकारी नही पाये जाने से इन दोनो तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

17 **तनकी नं.–6** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 4 5 मे किया जा चूका है पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

18 **तनकी नं.–7** समग्र रुप से हम पाते है कि पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या– 89 के अनुसार वादीगण के पिता रुपा पिता देबी बलाई के नाम 05 बीघा भूमि का नामान्तकरण अवश्य निर्णय हुआ है । नामान्तकरण एक फिसीकल इन्द्राज है, नामान्तकरण को राईट ऑफ

Scanned by CamScanner

रिकार्ड की श्रेणी में नही माना गया है । वादीगण के द्वारा ऐसी कोई जमाबन्दी पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादीगण के पिता श्री रुपा बलाई आराजी नम्बर– 1179 मीन के गैर खातेदार या खातेदार रहे हो । साथ वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के कलम नम्बर– 3 में उक्त साबिक नम्बर– 1179 मीन के नये नम्बर– 1421/2, 1422/1, 1423/1, 1421/3, 1422/2, 1423/2 होना बताया गया है , जबकि उक्त आराजीयात तो वादीगण के पिता रुपा व प्रतिवादीगण मोहन व सोहन के पिता देबी पिता भोजा बलाई खातेदारी की आराजीयात थी जो विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। इस विरासत से दर्ज भूमि के लिये वादीगण किसी प्रकार के हक घोषणा करवाने के अधिकारी नही है , साथ ही इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है तद्नुसार दावा वादी खाजिर किये जाने योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी खारिज किया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट दांतडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner